



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49464-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 3097 वर्ष 2026

रोहित सिंह और अन्य ..... याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य ..... प्रत्यर्थागण

याचीगण के अधिवक्ता : राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, सच्चिदानंद यादव

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : आशुतोष पांडेय, जी०ए०, मदन लाल वर्मा

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान ए०जी०ए०, प्रत्यर्था संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष पांडेय को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका दिनांक 24.1.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिससे बी०एन०एस० की धारा 115(2), 352, 351(3), 118(2) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (संशोधन 2015) की धारा 3(2)(v), पुलिस थाना-सराय इनायत, जिला- गंगा नगर (कमिश्नरेट प्रयागराज) के अंतर्गत मुकद्दमा अपराध संख्या 0012 वर्ष 2026 उद्भूत होता है, को अभिखंडित करने की मांग करती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचीगण पूर्णतया निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान मामले में प्रच्छन्न उद्देश्य के कारण झूठा फंसाया गया है।
4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए अभिकथन से, प्रथम दृष्टया याचीगण के विरुद्ध कोई भी अपराध प्रकट नहीं होता है और, इसलिए, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिखंडित किए जाने योग्य है।
5. इसके विपरीत, विद्वान ए०जी०ए० के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और पीड़ित की चोट रिपोर्ट अभिलेख पर प्रस्तुत की है।
6. चोट रिपोर्ट के परिशीलन से, यह स्पष्ट है कि चिकित्सक ने निम्नलिखित चोटों को दर्ज किया है :-
  - (i) दाहिने अंगूठे के दूरस्थ पोर पर 2 सें०मी० x 1.5 सें०मी० का विदीर्ण घाव, दाहिने अंगूठे के दाहिने दूरस्थ पोर का आधा हिस्सा गायब, किनारे अनियमित। घाव भरना प्रारंभ।
  - (ii) नाक के बाईं ओर 1 सें०मी० लंबाई की रेखिक खरोंच, गहरे भूरे रंग की पपड़ी विद्यमान।
  - (iii) दाहिनी भौंह के ठीक ऊपर 0.5 सें०मी० x 0.5 सें०मी० की खरोंच, भूरे रंग की पपड़ी विद्यमान।
7. विद्वान ए०जी०ए० ने आगे निवेदन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए अभिकथन से और चिकित्सक द्वारा दर्ज की गई चोटों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया अपराध, जिसकी शिकायत की गई है, याचीगण के विरुद्ध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और, इसलिए, (2017) 2 एस०सी०सी० 779 में रिपोर्ट किए गए तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी और (2021) एस०सी०सी० ऑनलाइन एस०सी० 315 में रिपोर्ट किए गए नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि तथा दांडिक अपील संख्या 843 वर्ष 2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया विनिश्चय के दृष्टिगत प्रथम सूचना रिपोर्ट को अभिखंडित नहीं किया जा सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिरोधी निवेदनों पर विचार करने के पश्चात और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचीगण द्वारा किए गए हमले के कारण, सूचनादाता को गंभीर चोटें आई हैं और चिकित्सक ने पीड़ित/सूचनादाता के शरीर पर तीन चोटें दर्ज की हैं, इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए अभिकथनों के दृष्टिगत और चोटों तथा विद्वान ए०जी०ए० द्वारा उद्धृत सुसंगत विधि और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय अपराध प्रकट करती है, हमारी यह राय है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को अभिखंडित नहीं किया जा सकता है।
9. इसलिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट को अभिखंडित करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।
10. हालांकि, यदि याचीगण विचारण न्यायालय के समक्ष अग्रिम/नियमित जमानत के लिए आवेदन दाखिल करते हैं, तो उनके जमानत आवेदन पर यथासंभव शीघ्रता से विधि के अनुसार विचार किया जाए और उसे निस्तारित किया जाए।
11. इन संप्रेक्षणों के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

मार्च 11, 2026

के०यू०

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।